


१५
न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल आर्किवर म.प्र.



संतोष कुमार तथा श्री राजमणि पटेल उमा ३२ वर्ष, वेश्वा-खेती,

RP 660
23-6-08

निवासीग्राम टनगढ़, तह. मुर्मांज जिला-रीवा म.प्र. --- बाहिराजनीकितागण निगरानी
कर्ता

R-726 III/08 बनाम

RP 660
13/6/08

१. भालपीक पटेल तथा श्री श्यामलाल पटेल उमा ३० वर्ष वेश्वा-कृषिकार्य

03
15/12/08

२. दिवेश कुमार तथा श्री श्यामलाल निवासी ग्राम टनगढ़, थाना मुर्मांज
तह. मुर्मांज जिला-रीवा म.प्र. --- गैरनिगरानीकितागण

17-6-08

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अमर
आयुक्त रीवा संचार रीवा म.प्र. के प्र.क्र. 1090/
अप्रैल/०८-०७ में पारित आदेश दि. ४.४.०८
अंतर्गत धारा ५५० म.प्र. धू-रा.सं. सं. १९५७६.

21/11/08
कार्यालय कलेक्टर
जिला रीवा (म.प्र.)

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

RP 660
23-6-08

१. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अमर आयुक्त रीवा का आदेश
विधि संबंधी विवरीत होने के कारण निरस्त किये जाने चाहय है।

२. यह कि प्रभुम अधीनस्थ न्यायालय ने किया निगरानी को सुने आदेश
पारित कर दिया था, तथा उक्त आदेश की निगरानी आवेदक ने कलेक्टर

रीवा के घरां किया, तब वे गैरनिगरानीकितागण ने कलेक्टर रीवा के

आदेश की अधीन प्रस्तुत किया, तो अमर आयुक्त रीवा ने अमर कलेक्टर
रीवा के आदेश का निरस्त कर दिया, जो निरस्ती था यह है।

क्रमा: ...

खालील ५८

क्रमा: ...

क्रमा: ... गैरनिगरानीकितागण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 726—तीन / 2008 निगरानी

जिला रीवा

स्थान दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

9/3/18

उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। उन्हें आवेदन दिनांक 18-10-2012 पर सुना गया। आवेदक की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण आगे न चलाने की प्रार्थना की है तथा आवेदन के तथ्यों के पुष्टिकरण में शपथ पत्र भी दिया है, जिस पर अनावेदकगण के अभिभाषक को आपत्ति नहीं है। आवेदक की मांग स्वीकार कर प्रकरण इसी—स्तर पर समाप्त किया जाता है।


सदस्य

